

विधान सभा अंतरांगिक प्रश्न क्र. 7046 के प्रश्नांश (ख) का  
परिशिष्ट

प्रश्नकर्ता - प. रामकान्त तिवारी, सदन में उत्तर देने का दि. 30.3.17  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधा, म०प्र०

कमांक / लीगल / 2013 /

15696

सीधी, दिनांक 23/2/2013

आदेश

1

श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वार्डवाय, सामु०स्वा०के० रामपुरनैकिन, जिला सीधी द्वारा वरिष्ठता एवं पदो-  
सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र० डब्लू०पी०नं० 9582/2009(एस), में  
निर्णय दिनांक 15.9.2011 के अनुक्रम में श्री त्रिपाठी द्वारा सहायक ग्रेड तीन के पद पर पदोर्ना  
जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त सन्दर्भ में कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार तत्  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी के पत्र क्र०/स्था/चतुर्थ/मुचिअ/ 10/4384  
22.4.2010 द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० भोपाल की ओर प्रेषित प्रस  
अनुक्रम में संयुक्त संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० भोपाल के पत्र क्र०/अवि/डीपी  
/859-जी, दिनांक 22.7.2012 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी वार्डवाय का नाम नियमित चतुर्थ श्रे  
वर्ष 2003 की वरिष्ठता सूची में जोड़कर नियमानुसार पदोन्नति जिला स्तर पर करने के निर्देश दिये  
दिनांक 30.1.2003 की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सी  
अधीनस्थ संस्थाओं में सहायक ग्रेड तीन का पद रिक्त नहीं है। संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य  
रीवा के आदेश क्र० 4418 दि० 7.11.2007 एवं आदेश क्र० 4357 दि० 7.11.2007 द्वारा मु०चि० एवं स्वा०अधि  
के अधीन संस्थाओं में कार्यरत 08 सहायक ग्रेड तीन पद के कर्मचारियों की पदोन्नति के कारण पद रिक्त  
पाया गया है।

अतः अवमानना याचिका 177/2012, तथा 178/2012, में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक  
2012 के पालन में संचालक चिकित्सा सेवायें(लीगल) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० भोपाल  
क्र० 4/लीगल/13/जेबीपी/09 दि० 4.1.2013 एवं अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय  
सेवायें म०प्र०भोपाल के पत्र क्र० 2/अवि/सेल-डीपीसी /2013/107-बी दिनांक 20.2.2013 से  
निर्देश के पालन में श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वार्डवाय, सामु० स्वा०के० रामपुरनैकिन जिला सी  
दिनांक 7.11.2007 से प्रोफार्मा पदोन्नति सहायक ग्रेड तीन के पद पर वेतनमान रु० 3050-4590 ( पुनरीक्षित नवीन वेतनमान रु० 5200- 20200 पे ग्रेड 1900, में की जाकर पदस्थापना कार्यालय  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधी, में उपस्थित होने के दिनांक से की जाती है।

( डा० के० के० शुक्ला )  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला सीधी, म०प्र०

पृ०क्र०/लीगल/2013/ 15697-15705 सीधी, दिनांक 23/2/2013  
प्रतिलिपि:- की ओर उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. रजिस्ट्रार लां, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, म०प्र०।
2. प्रमु सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वा० एवं प०के० विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र०, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें(लीगल) म०प्र०, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा, सम्भाग रीवा, म०प्र०।
6. माननीय शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर।
7. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु० स्वा० के० रामपुरनैकिन, जिला सीधी, म०प्र०।
8. लेखापाल/स्थापना तृतीय/स्थापना चतुर्थ, स्थानीय कार्यालय सीधी।
9. सम्बन्धित जन श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वार्डवाय, सामु०स्वा०के० रामपुरनैकिन, जिला सीधी, म०प्र०।
10. आदेश फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-अधिकारी, जिला सीधी, म०प्र०

क०/लीगल/2013/

15706

सीधी, दिनांक 23/2/2013

आदेश

श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा भृत्य, जिला मलेरिया कार्यालय सीधी द्वारा वरिष्ठता एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कं० डब्लू०पी०नं० 10107/2006(एस), में पारित निर्णय दिनांक 15.9.2011 के अनुक्रम नं० 32012 से प्राप्त दिशा निर्देश के पालन में दिनांक 30.1.2003 की स्थिति में कार्यालय के अधीनस्थ संस्थाओं में सहायक ग्रेड तीन पद रिक्त न होने तथा जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यालयीन आदेश कं०/मु०चि०अ० 2012 /4594-4605 सीधी, दिनांक 25.6.2012 के सरल कं० चार में अंकित श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा भृत्य जिला मलेरिया कार्यालय सीधी, की पदोन्नति ड्रेसर ग्रेड दो के पद पर की प्राथमिकता ताला की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवमानना याचिका कं० 177/2012 श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा विरुद्ध म०प्र० शासन अन्तर्गत, में सुनवाई पश्चात् दिनांक 17.12.2012 को पारित अन्तरिम आदेश के सन्दर्भ में श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा भृत्य द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन दिनांक 27.12.2012 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश कं०/मु०चि०अ०/2012 /4594-4605 सीधी, दिनांक 25.6.2012 सरल कं० चार में अंकित श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा भृत्य का नाम विलोपित किया जाता है।

संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा के आदेश कं० 4418 दि० 7.11.2007 एवं आदेश कं० 4357 दि० 7.11.20 द्वारा मु०चि० एवं स्वा०अधि० सीधी के अधीन संस्थाओं में कार्यरत 08 सहायक ग्रेड तीन पद के कर्मचारियों की पदोन्नति के कारण रिक्त होना पाया गया है।

अतः अवमानना याचिका कं० 177/2012 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 17.12.2012 को पारित अन्तर्गत आदेश के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वा० एवं प०क० विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल से दूरभाष पर की गयी चर्चा एवं संचालक चिकित्सा सेवायें (लीगल) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० भोपाल के पत्र कं० 4/लीगल/13/जेबीपी/09 दि० 4.1.2013 एवं अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० भोपाल के पत्र कं० 2/अवि/सेल-डीपीसी 2013/107-बी दिनांक 20.2.2013 द्वारा प्राप्त निर्देश के पालन में श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा भृत्य जिला मलेरिया कार्यालय सीधी दिनांक 7.11.2007 से प्रोफार्मा पदोन्नति सहायक ग्रेड तीन के पद पर वेतनमान रु० 3050-4590 (पुराना) नवीन पुनरीक्षित वेतनमान रु० 5200-20200 पे ग्रेड 1900, में की जाकर पदस्थापना जिला चिकित्सालय सीधी, जिला सीधी में उपस्थित होने के दिनांक से जाती है।

( डा० के० के० शुक्ला )

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला सीधी, म०प्र०

पृ०कं०/लीगल/2013/ 15707-16

सीधी, दिनांक 23/2/2013

प्रतिलिपि:- की ओर उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


1. रजिस्ट्रार लां, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, म०प्र०।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वा० एवं प०क० विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र०, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें म०प्र०, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा, सम्भाग रीवा, म०प्र०।
6. माननीय शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सीधी, म०प्र०।
8. जिला मलेरिया अधिकारी, जिला सीधी, म०प्र०।
9. लेखापाल/स्थापना तृतीय/स्थापना चतुर्थ, स्थानीय कार्यालय सीधी।
10. श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा भृत्य जिला मलेरिया कार्यालय सीधी जिला सीधी म०प्र०।



(36)



(3)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधी, म०प्र०

लीगल/2013/ 15684

सीधी, दिनांक 23/2/ 2013

आदेश

श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा भृत्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वरिगवां जिला सीधी द्वारा वरिष्ठता एवं पदोन्नति के सम्बन्धी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र० डब्लू०पी०नं० 10108/2006(एस), में पारित निर्णय दिनांक 15.9.2012 अनुक्रम में म०प्र०शासन लोक स्वा० एवं प०क० विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र०01118/4937/2011/ 17/मे दिनांक 15.3.2012 से प्राप्त दिशा निर्देश के पालन में दिनांक 30.1.2003 की स्थिति में कार्यालय के अधीनस्थ संस्थाओं में स ग्रेड तीन का पद रिक्त न होने तथा, जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यालयीन क्र०/मु० चि०अ०/2012 /4594-4605 सीधी, दिनांक 25.6.2012 के सरल क्र० तीन में अंकित श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा भृत्य पदोन्नति ड्रेसर ग्रेड दो के पद पर प्राथ०स्वा०के० नकज़र, की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवमानना याचिका क्र० 178/2012 श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा विरुद्ध म०प्र० व अन्य, में सुनवाई पश्चात् दिनांक 17.12.2012 को पारित अन्तरिम आदेश के सन्दर्भ में श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा, भृत्य, द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 27.12.2012 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्र०/मु०चि०अ०/2012 /4594-4605 सीधी, दिनांक 25.6.2012 सरल क्र० तीन में अंकित श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा भृत्य का नाम विलोपित किया जाता है।

संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा के आदेश क्र० 4418 दि० 7.11.2007 एवं आदेश क्र० 4357 दि० 7.11 द्वारा मु०चि०एवं स्वा०अधि० सीधी के अधीन संस्थाओं में कार्यरत 08 सहायक ग्रेड तीन पद के कर्मचारियों की पदोन्नति के कार रिक्त होना पाया गया है।

अतः अवमानना याचिका क्र० 178/2012 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 17.12.2012 को पारित आदेश के अनक्रम में प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वा० एवं प०क० विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल, से दूरभाष पर की चर्चा एवं संचालक चिकित्सा सेवायें(लीगल) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० भोपाल के पत्र क्र० 4/लीगल/13/जेबीपी/0/4.1.2013 एवं अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र०भोपाल के पत्र क्र० 2/अवि/सेल-ई/2013/107-बी दिनांक 20.2.2013 द्वारा प्राप्त निर्देश के पालन में श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा भृत्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व की दिनांक 7.11.2007 से प्रोफार्मा पदोन्नति सहायक ग्रेड तीन के पद पर वेतनमान रु० 3050-4590 (पुराना) पुनरीक्षित वेतनमान रु० 5200- 20200 पे ग्रेड 1900, में की जाकर पदस्थापना जिला चिकित्सालय सीधी, जिला सीधी में उपस्थित है दिनांक से की जाती है।

( डा० के० के० शुक्ला )

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला सीधी, म०प्र०

पृ०क्र०/लीगल/2013/ 15685-95 सीधी, दिनांक 23/2/ 2013  
प्रतिलिपि:- की ओर उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।।

1. रजिस्ट्रार लां, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, म०प्र०।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वा० एवं प०क० विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल ।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र०, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें(लीगल) म०प्र०, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
5. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा, सम्भाग रीवा, म०प्र० ।
6. माननीय शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सीधी, म०प्र०।
8. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु०स्वा०के० सेमरिया, जिला सीधी, म०प्र० ।
9. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथ०स्वा०के० वरिगवां, जिला सीधी, म०प्र० ।
10. लेखापाल/स्थापना तृतीय/स्थापना चतुर्थ, स्थानीय कार्यालय सीधी ।